

# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

श्री लक्ष्मी कान्त गुप्ता नाम ..... अज्ञानता ..... को

द्वारा ..... नं. 239 सन् 1998

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

9-4-19

पञ्चावली पेशा हुई। वकील  
वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण  
के एक प्रार्थना पत्र वास्तव विद्वा किये  
जाने लावा का पेशा किया। प्रार्थना  
पत्र पर वकील वादीगण को अनुमति  
मया। प्रार्थना पत्र विद्वा स्वीकार  
किया जाकर वादीगण को विद्वा किये  
जाने को स्वीकृति दी जाती है। पञ्चा-  
वली फैसला सुनार होकर बाद लफ-  
मील दाखिल दफ्तर है।

(लक्ष्मी कान्त गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
580- श्रीमाधोपुर